परियोजना का नाम :– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :– 3159/पी3–14/यू0आर0आर0डी0ए0/15 दिनाक 14 दिसम्बर 2009 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट **जयकण्डी** (cc 212900 pop-299) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **4.050** है0, सिविल सोयम भूमि **3.150** है0 एवं वन पंचायत भूमि **0.000** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **0.000** है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षो की गणना 9 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रुप से पातन किये जाने है। भूमी अधिग्रहण **9** मीटर चौड़ाई मे की गई है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु **2** संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– उक्त मोटर मार्ग निर्माण के लिए संरेखण–1 जावरी से प्रारम्भ करते हुए जयकण्डी गांव को जोडते हुए 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 6 हेयर पिन बैंड आते है। इस संरेखण–1 में रोड में (1:20 R, 1:24 R, 1:40 R, 1:20 F) ग्रेड आते हैं। क्योंकि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है अतः वास्तविक लम्बाई 8.00 कि0मी0 आती है। इसलिए 8.00 किमी0 सर्वेक्षण कर संरेखण–1 तैयार किया गया है। इस मोटर मार्ग में 10 मी0 स्पान का 1 कल्वर्ट एवं 4 मी0 स्पान का 1 कल्वर्ट भी आते हैं। संरेखण–1 में व्यक्तिगत नाप भूमि, वनभूमि एवं सिविल सोयम भूमि आती है। संरेखण–1 से ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– उक्त मोटर मार्ग निर्माण के लिए संरेखण–2 जावरी से प्रारम्भ करते हुए जयकण्डी गांव को जोडते हुए 8.00 कि0मी0 की लम्बाई में पहुंचाया गया है। उक्त मोटर मार्ग में 8 हेयर पिन बैंड आते है। इस संरेखण–1 में रोड में (1:20 R, 1:24 R, 1:40 R, 1:20 F) ग्रेड आते हैं। क्योंकि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है लेकिन वास्तविक लम्बाई 9.500 कि0मी0 आती है। इसलिए 9.500 किमी0 सर्वेक्षण कर संरेखण–2 तैयार किया गया है। इस संरेखण में 10 मी0 स्पान का 1 कल्वर्ट एवं 8 मी0 स्पान का 1 कल्वर्ट भी आते हैं। संरेखण–2 में व्यक्तिगत नाप भूमि, वनभूमि एवं सिविल सोयम भूमि आती है। संरेखण–2 से ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है एवं नापभूमि लागत अधिक होने के कारण तकनीकी दृष्टि से भी उक्त संरेखण–2 उपयुक्त नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 2** को निरस्त कर संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **8.00** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार **9** मीटर चौड़ाइ तथा ल0 **0.00** में आने वाली वन पंचायत भूमि **3.150** है0 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग